


11/11/86

: विकलांग परीचय पत्र :

प्रथम पृष्ठ :- विकलांग व्यक्ति के लिये परीचय पत्र ।
द्वितीय पृष्ठ :- कोटो जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित
तृतीय पृष्ठ :-

- १- नाम शिव कुमार कादल
- २- जन्मतिथि २२-५-१९६२
- ३- निवास स्थान ताज सेन रोड, राजेन्द्र प्रसाद
कालोनीय सामने, राधा स्टेशन
- ४- कार्यालय का पता ज्वालामुख
- ५- व्यवसाय



- ६- विकलांगता का प्रकार दाहिना हाथ कुचल हुआ
- ७- परिचय पत्र प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर Old supra condylar fracture of humerus & Ankylosis of elbow (R.S.D.)
- या निशानी / अंगूठा शिव कुमार कादल
- ८- जारी करने की तारीख 11/11/86

539
12/11/86

विकलांगता प्रमाणित करने वाले/कोटो जारी करने वाले अधिकारी के, (जिजा बण्डा अधिकारी) हस्ताक्षर और मील ।
 विकलांगता प्रमाणित करने वाले/कोटो जारी करने वाले अधिकारी के, (जिजा बण्डा अधिकारी) हस्ताक्षर और मील ।

- चतुर्थ पृष्ठ :-
- १- यह कार्ड जारी करने के दिनांक से पांच वर्ष के लिये वैध होगा । उसके बाद कार्ड की आवश्यकता हो तो यह कार्ड जारी करने वाले अधिकारी को कोटोले हुए कार्ड के लिये आवेदन करें ।
 - २- इस कार्ड का सुरक्षात्मक नहीं किया जा सकता । यह कार्ड उसी व्यक्ति के पास रहना चाहिये जिसको यह जारी हुआ है और उसी के द्वारा उपयोग किया जाना चाहिये ।
 - ३- कार्ड खो जाने पर दूबटा कार्ड रुपये १५/- अधिक शुल्क जमा करने पर बनाया जा सकता ।